संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं. 10/2011-सीपीएफ दिनांक 18.06.2011

(आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 18.07.2011)

केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2011

(आयोग की वेबसाइट - http://www.upsc.gov.in)

संख्या 11/3/2010 - परीक्षा 1 (ख) - संघ लोक सेवा आयोग दिनांक **09 अक्तूबर, 2011** को केन्द्रीय पुलिस बल अर्थात् सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी) तथा सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) में सहायक कमांडेन्ट (ग्रुप क) की भर्ती हेतु एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगा. परीक्षा गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक **18 जून, 2011** के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित परीक्षा के लिए नियमावली के अनुसार आयोजित की जाएगी. उपर्युक्त परीक्षा के आयोजन की तारीख आयोग के विवेकाधिकार पर परिवर्तित की जा सकती है.

रिक्तियों की संख्या : परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की अस्थायी संख्या निम्नलिखित है :

(i)	**बी एस एफ**	**111**
(ii)	**सी आर पी एफ**	**213**
(iii)	**सी आई एस एफ**	**15**
(iv)	**आई टी बी पी**	**36**
(v)	**एस एस बी**	**122**
	योग	**497**

उपर्युक्त रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है.

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण सरकार द्वारा नियत रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा.

2. परीक्षा केन्द्र : परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

अगरतला	**गंगटोक**	**पणजी (गोवा)**
अहमदाबाद	**हैदराबाद**	**पटना**
ऐजल	**इंफाल**	**पोर्ट ब्लेयर**
इलाहाबाद	**ईटानगर**	**रायपुर**
बंगलौर	**जयपुर**	**रांची**
बरेली	**जम्मू**	**संबलपुर**
भोपाल	**जोरहाट**	**शिलांग**
चंडीगढ़	**कोच्चि**	**शिमला**
चेन्नई	**कोहिमा**	**श्रीनगर**
कटक	**कोलकाता**	**तिरुवनंतपुरम**
देहरादून	**लखनऊ**	**तिरुपति**
दिल्ली	**मदुरै**	**उदयपुर**
धारवाड़	**मुंबई**	**विशाखापटनम**
दिसपुर	**नागपुर**	

उपर्युक्त केन्द्रों में आयोग अपने विवेकाधिकार से परिवर्तन कर सकता है, यद्यपि उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा के लिए उनकी पसन्द के केन्द्र देने के सभी प्रयास किये जायेंगे, फिर भी आयोग परिस्थितिवश किसी उम्मीदवार को अपने विवेक से दूसरा केन्द्र दे सकता है. जिन उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रवेश दिया जाता है उन्हें परीक्षा की समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी.

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि केन्द्र में परिवर्तन से संबंधित अनुरोध को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा. तथापि जब कोई उम्मीदवार अपने उस केन्द्र में परिवर्तन चाहता है जो उसने उक्त परीक्षा हेतु अपने आवेदन-प्रपत्र में निर्दिष्ट किया था तो उसे परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग को इस बात का पूरा औचित्य बताते हुए एक पत्र अवश्य भेज देना चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन क्यों चाहता है. ऐसे अनुरोधों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा किन्तु **17 अगस्त, 2011** के बाद प्राप्त अनुरोधों को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही पत्रव्यवहार का जवाब दिया जाएगा.

महत्त्वपूर्ण

1. परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :
परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शतो ॅ को पूरा करते हैं. परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः **अनंतिम** होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों.

उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है.

उम्मीदवार द्वारा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही आयोग मूल प्रमाण पत्रों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है.

2. कैसे आवेदन करें :
(क) उम्मीदवार वेबसाइट **http://www.upsconline.nic.in** का प्रयोग करके **ऑनलाइन** ही आवेदन करें. ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों को भरने के लिये विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध हैं. तथापि **कतिपय दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवार, जैसा कि इस नोटिस के पैरा 6 में उल्लिखित है,** आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिये इस्तेमाल किए जा रहे **नये सामान्य आवेदन प्रपत्र (फार्म-ई)** का प्रयोग करके ऑफलाइन मोड के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। यह प्रपत्र **30/- रु. (तीस रुपये मात्र)** के नकद भुगतान पर देश भर के **निर्दिष्ट किसी भी प्रधान डाकघरों/डाकघरों (नोटिस के परिशिष्ट-III में विनिर्दिष्ट)** से खरीदे जा सकते हैं. ऐसा प्रत्येक प्रपत्र एक परीक्षा के लिए केवल एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है.

यदि उम्मीदवार को निर्दिष्ट प्रधान डाकघर/डाकघरों से आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो तो उन्हें तत्काल संबंधित डाकपाल अथवा संघ लोक सेवा आयोग के **''फार्म सप्लाई निगरानी प्रकोष्ठ''** की **दूरभाष सं. 011-23389366/फैक्स सं. 011-23387310** पर संपर्क करें.यह नोट किया जाए कि सामान्य क्षेत्रों/विदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों से प्राप्त सभी ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र, यदि कोई हो, आयोग द्वारा सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र का विकल्प केवल विनिर्दिष्ट दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है.

(ख) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस नोटिस के **परिशिष्ट-II (क)** में दिए गए **ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए अनुदेश** और **परिशिष्ट--II (ख)** में दिए गए **ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें.**

3. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख :
(क) ऑनलाइन (सभी उम्मीदवारों से) :
ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **18 जुलाई, 2011 रात्रि 11 बजकर 59 मिनट** तक भरे जा सकते हैं इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा.

(ख) ऑफलाइन (केवल उल्लिखित दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों से)
केवल दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों, जैसा कि इस नोटिस के पैरा 6 में उल्लिखित है, के सभी ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र डाक/स्पीड पोस्ट से **25 जुलाई, 2011** तक **''परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069''** तक अवश्य पहुंच जाएं. उम्मीदवार यह नोट करें कि दस्ती अथवा कूरियर के माध्यम से कोई आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. गलत उत्तरों के लिए दंड (वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र में) :
अभ्यर्थी नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्र में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड **(नेगेटिव मार्किंग)** दिया जाएगा.

5. उम्मीदवारों के मार्गदर्शन हेतु सुविधा काउन्टर :
उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र, उम्मीदवारी आदि से संबंधित किसी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए कार्यदिवसों में 10.00 बजे से 5.00 बजे के बीच आयोग परिसर के गेट 'सी' के पास संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. **011-23385271/ 011-23381125/011-23098543** पर संपर्क कर सकते हैं.

5. मोबाइल फोन प्रतिबंधित :
(क) जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, उस परिसर के अंदर मोबाइल फोन, पेजर्स अथवा अन्य संचार यंत्रों की अनुमति नहीं है. इन अनुदेशों का कोई उल्लंघन होने पर भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में प्रतिबंध सहित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी.
(ख) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित कोई प्रतिबंधित सामग्री न लाएं क्योंकि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता.

7. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हाल में कोई भी बहुमूल्य वस्तु न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती. इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा.

उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन मोड से आवेदन करने की जरूरत है (केवल दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों को छोड़ कर जिनका उल्लेख इस नोटिस के पैरा 6 में किया गया है जिनके पास ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से आवेदन करने का विकल्प मौजूद है).

3. पात्रता की शर्तें :

(I) राष्ट्रीयता : इन नियमों के अंतर्गत भारत के नागरिक के अलावा किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाएगा या रोज़गार में नहीं लिया जाएगा, केवल उस व्यक्ति को छोड़कर जिसे केन्द्रीय सरकार ने लिखित रूप से सहमति प्रदान की हो.

बशर्ते कि इन नियमों के अंतर्गत नेपाल या भूटान की प्रजा को नियुक्ति, नामांकन या रोजगार से विवर्जित नहीं किया जाएगा.

(II) लिंग : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल में सहायक कमांडेन्ट के पद पर नियुक्ति के लिए महिला एवं पुरुष दोनों उम्मीदवार पात्र हैं. तथापि सीमा सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस में सहायक कमांडेन्ट के पद पर नियुक्ति के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं.

स्पष्टीकरण : किसी महिला उम्मीदवार को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों की सूची में उसका नाम शामिल होने के बावजूद नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसे सफल उम्मीदवारों की योग्यता सूची और दर्शाई गई पसन्द के आधार पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या सशस्त्र सीमा बल आवंटित नहीं किया जाता है.

(III) आयु-सीमाएं :

(क) उम्मीदवार **01 अगस्त, 2011** को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात् उम्मीदवार का जन्म 02 अगस्त, 1986 से पहले न हुआ हो तथा 01 अगस्त, 1991 के बाद न हुआ हो.

(ख) उपर्युक्त निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट होगी.

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो तो अधिकतम 5 वर्ष

(ii) अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित ऐसे उम्मीदवार जो उन पर लागू आरक्षण को प्राप्त करने के पात्र हैं, को अधिकतम 3 वर्ष.

(iii) केन्द्रीय सरकार के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार असैनिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए पांच वर्ष. भूतपूर्व सैनिक भी इस छूट को प्राप्त करने के पात्र होंगे, तथापि सरकारी सेवा के मामले में दावा की गई कुल छूट की सीमा पांच वर्ष होगी.

(iv) ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो तो, अधिकतम 5 वर्ष.

टिप्पणी-I : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त पैरा 3 (III) (ख) के अंतर्गत किसी भी अन्य खंड में आते हैं अर्थात् वे जो असैनिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी/भूतपूर्व सैनिकों तथा जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे.

''सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिसमें पुरुष तथा महिला उम्मीदवारों की संख्या में संतुलन बना रहे तथा महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।''

टिप्पणी-II : भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुनः नियोजन) नियमावली, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है.

टिप्पणी-III : ऊपर पैरा 3(III) (ख) (iii) में ''असैनिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी'' शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के अधीन ''सरकारी कर्मचारी'' के रूप में परिभाषित किया गया है.

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी परिस्थिति में छूट नहीं दी जायेगी.

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक या उसकी समकक्ष परीक्षा-पत्र प्रमाणपत्र में दर्ज हो.

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथपत्र, नगर निगम, सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

अनुदेशों के इस भाग में आये हुए मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र भी सम्मिलित हैं.

टिप्पणी-I : उम्मीदवार यह नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने तथा किसी परीक्षा में प्रवेश देने के उद्देश्य से आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के पश्चात (या बाद में किसी अन्य परीक्षा में) किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

टिप्पणी-II : उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए आवेदन प्रपत्र के संबंधित कॉलम में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए. यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि उनके मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दी गई जन्म तिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है तो आयोग द्वारा उनके विरूद्ध नियम के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

(IV) न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं : उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित विश्वविद्यालय की बैचलर डिग्री या कोई अन्य समकक्ष योग्यता हो.

टिप्पणी-I : यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है. जो उम्मीदवार वर्ष 2011 में अर्हक परीक्षा में बैठ रहे हैं वे भी इस परीक्षा में प्रवेश पाने के पात्र हो सकते हैं. ऐसे उम्मीदवार यदि अन्यथा पात्र होंगे तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अनंतिम मानी जाएगी और अर्हक परीक्षा पास करने का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.

उक्त प्रमाण, परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने तथा शारीरिक मानदण्ड/शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा चिकित्सा मानदण्ड परीक्षण में भी अर्हक घोषित किए गए उम्मीदवारों द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा.

टिप्पणी-II : आपवादिक मामलों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को शैक्षणिक दृष्टि से अर्हक मान सकता है जिसके पास इस नियम में निर्धारित अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो, बशर्ते कि उसने अन्य संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा पास की हो, जिसके स्तर को आयोग स्वीकार करता हो, उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है.

टिप्पणी-III : जिन उम्मीदवारों के पास व्यावसायिक तथा तकनीकी डिग्री के समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक एवं तकनीकी योग्यता है, वे भी परीक्षा में बैठने के पात्र हैं.

(V) पहले से अंतिम रूप में चयनित/अनुशंसित उम्मीदवारों के पुनः परीक्षा में बैठने पर प्रतिबंध : केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा में भाग लेने वाले किसी भी बल में सहायक कमांडेन्ट के पद के लिए किसी पूर्व परीक्षा के आधार पर अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार केन्द्रीय पुलिस बलों की भागीदारी में सहायक कमांडेन्ट की भर्ती हेतु उत्तरवर्ती परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे.

(VI) शारीरिक मानदण्ड :

नोटिस के **परिशिष्ट-VI** में निर्दिष्ट केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमाडेंट) परीक्षा, 2011 में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक तथा चिकित्सा मानदण्डों को पूरा करना होगा.

(VII) एन सी सी ''बी'' या ''सी'' प्रमाण-पत्र का होना :

एन सी सी ''बी'' या ''सी'' प्रमाण-पत्र का होना एक वांछनीय योग्यता है. इन योग्यताओं को केवल साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के समय महत्व दिया जायेगा.

4. शुल्क :

(क) ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों (महिला/अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त है) को कम किया गया शुल्क 100/- रु. (केवल एक सौ रुपए) अदा करना होगा जो वे भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में नकद जमा कराके अथवा भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का प्रयोग करके अथवा वीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड के प्रयोग से कर सकते हैं।

(ख) इस नोटिस के पैरा 6 में विनिर्दिष्ट दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवार, जो **सामान्य आवेदन प्रपत्र (फार्म-ई)** के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन करेंगे, उन्हें एक केन्द्रीय भर्ती शुल्क स्टॉम्प द्वारा **रु. 200/- (केवल दो सौ रुपये)** की फीस अदा करनी होगी. **सभी महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को कोई शुल्क अदा नहीं करना है. तथापि, अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित पूर्ण शुल्क अदा करना है.**

अपेक्षित मूल्य वर्ग का केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट **(डाक टिकटें नहीं)** डाकघर से प्राप्त करें और आवेदन प्रपत्र पर इसके लिए निर्धारित स्थान पर चिपका दें. टिकट जारी करने वाले डाकघर की तारीख की मोहर सहित इस तरह से रद्द किया जाए कि रद्द करने की मोहर की छाप आंशिक रूप से आवेदन प्रपत्र पर दिए गए स्थान के अंदर आ जाए. रद्द करने वाली मोहर की छाप स्पष्ट होनी चाहिए ताकि जारी करने वाले डाकघर तथा उसकी तारीख की पहचान स्पष्ट रूप से हो सके.

उम्मीदवार यह नोट कर लें कि **भारतीय पोस्टल आर्डर, बैंक ड्राफ्ट, मनीआर्डर, रेखांकित चेक, करेंसी नोट, ट्रेजरी चालान, डाक टिकटें आदि** द्वारा भेजे गए शुल्क आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा ऐसे आवेदन प्रपत्रों को शुल्क रहित माना जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा.

टिप्पणी-I : जिन आवेदन-प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क नहीं होगा (शुल्क माफी के दावे को छोड़कर), सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा.

टिप्पणी-II : किसी भी परिस्थिति में एक बार अदा किए गए शुल्क की वापसी नहीं होगी और न ही शुल्क को किसी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जाएगा.

5. आवेदन कैसे करें :

(क) उम्मीदवारों को http://**www.upsconline.nic.in** लिंक का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

(ख) इस नोटिस के पैरा 6 में विनिर्दिष्ट कतिपय दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों के पास आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले **सामान्य आवेदन-प्रपत्र (फार्म-ई)** के माध्यम द्वारा ऑफलाइन आवेदन करने का भी विकल्प है. आवेदन प्रपत्र के साथ सूचना विवरणिका जिसमें प्रपत्र भरने के लिए सामान्य अनुदेश, पावती कार्ड एवं आवेदन प्रपत्र भेजने के लिए एक लिफाफा शामिल है, नोटिस के **परिशिष्ट-III** में सूचीबद्ध देश भर में **निर्दिष्ट किए गए प्रधान डाकघरों/डाकघरों से 30 रु. (केवल तीस रुपये) नकद भुगतान करके प्राप्त किए जा सकते हैं.** प्रपत्र केवल निर्दिष्ट किए डाकघरों से ही खरीदने चाहिए न कि किसी अन्य एजेंसी से. **इस प्रपत्र का प्रयोग केवल एक परीक्षा के लिए और केवल एक ही बार किया जा सकता है.** उम्मीदवार, जो ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, केवल सूचना विवरणिका के साथ दिए गए प्रपत्र का ही प्रयोग करें तथा किसी भी स्थिति में प्रपत्र की छायाप्रति/प्रतिलिपि/अप्राधिकृत मुद्रित प्रति का प्रयोग न करें. चूंकि इस प्रपत्र की बारीकी से जांच की जाती है, आवेदन प्रपत्र को भरते समय, कृपया इस नोटिस के **परिशिष्ट-II (ख)** में दिए गए विस्तृत अनुदेशों को देखें. उम्मीदवार को पावती कार्ड के संगत स्थानों पर अपना आवेदन प्रपत्र संख्या (आठ अंकीय) तथा परीक्षा का नाम भी भरना चाहिए. **आवेदक को आवेदन प्रपत्र के साथ पावती कार्ड पर रु. 6/- (छः रुपये मात्र) का डाक टिकट लगाकर उसे संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होगा. यदि आवेदक वांछित मूल्य का डाक टिकट नहीं लगाता है, तो उसका पावती कार्ड प्रेषित नहीं किया जाएगा तथा कार्ड को आवेदक द्वारा प्राप्त न किए जाने के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा.** विधिवत भरा गया आवेदन प्रपत्र एवं पावती कार्ड तब सूचना विवरणिका के साथ दिए गये **विशेष लिफाफे में भेजे जाने चाहिए. लिफाफा ''परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069''** को भेजने से पहले उम्मीदवार को लिफाफे के ऊपर परीक्षा का नाम अर्थात **केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2011 भी लिखना चाहिए**. उम्मीदवार नोट करें कि केवल दूर-दराज के क्षेत्रों से सभी **ऑफलाइन आवेदन केवल डाक/स्पीड पोस्ट** द्वारा प्राप्त किए जाएंगे और दस्ती रूप से अथवा कूरियर द्वारा कोई आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा.

(ग) सभी उम्मीदवार चाहे वे पहले से ही सरकारी सेवा, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम या अन्य समान बल या निजी रोज़गार में हों को अपने आवेदन-प्रपत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए.

जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से या (अनियमित या दैनिक दर कर्मचारी के अलावा) कार्य प्रभारित कर्मचारी की भांति कार्य कर रहें हैं या जो लोक उद्यमों में सेवारत हैं उनको लिखित रूप से अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को सूचित करना है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है.

उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई सूचना मिलती है तो उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.

टिप्पणी I : उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र भरते समय सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए. एक ही उम्मीदवार के अलग-अलग केन्द्र दर्शाते हुए एक से अधिक आवेदन प्रपत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पूरे भरे हुए आवेदन प्रपत्र भेजता है तो भी आयोग अपने विवेकाधिकार से केवल एक ही आवेदन प्रपत्र स्वीकार करेगा तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा.

यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित प्रवेश प्रमाण-पत्र में दर्शाये गये केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.

टिप्पणी II : चूंकि इन सामान्य आवेदन प्रपत्रों को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा संसाधित किया जाता है, उम्मीदवारों को अपने आवेदन प्रपत्र को सही तरह से भरने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए. सामान्य आवेदन प्रपत्र को भरने के लिए आवश्यक अनुदेश **परिशिष्ट-II (ख)** में देखें. अधूरे या त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा. किसी भी परिस्थिति में ऐसी अस्वीकृति के संबंध में किसी अभ्यावेदन पर या पत्र व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा.

टिप्पणी III : उम्मीदवारों को अपने आवेदन-पत्रों के साथ आयु तथा शैक्षिक योग्यताओं, अनुसूचित जाति/अनुसचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों आदि के दावे के समर्थन में **कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा,** जिसे आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार में उपस्थिति के समय सत्यापित किया जाएगा.

परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं. परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिये आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात लिखित परीक्षा, शारीरिक एवं चिकित्सा मानदण्ड परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी ई टी) तथा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा, जो उनके निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगा. यदि लिखित परीक्षा, शारीरिक तथा चिकित्सा मानदण्ड परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी ई टी) एवं साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता की किन्हीं शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिये उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.

यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरूद्ध आयोग द्वारा केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेन्ट) परीक्षा, 2011 की नियमावली के नियम 14 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है जो निम्नलिखित है :

जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नलिखित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है :-

(i) निम्नलिखित माध्यमों से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना, जैसे
(क) अवैध परितोषण देना, या
(ख) किसी पर दबाव डालना, या
(ग) परीक्षा के संचालन से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना या ब्लैकमेल करने की धमकी देना, या
(ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, या
(iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना, या
(iv) जाली प्रलेख या फेर-बदल किए प्रलेख प्रस्तुत करना, या
(v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, या
(vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित तरीके अपनाना, जैसे :
(क) अनुचित साधनों से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना,
(ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से संबद्ध व्यक्तियों के विवरण ढूंढ़ना,
(ग) परीक्षकों पर प्रभाव डालना, अथवा
(vii) परीक्षा के दौरान अनुचित तरीके अपनाना, या
(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर अश्लील बातें लिखना या अश्लील आरेख बनाना, अथवा
(ix) परीक्षा भवन में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, जिसमें उत्तर-पुस्तिकाओं को फाड़ना, साथी परीक्षार्थियों को परीक्षा का बहिष्कार करने को उकसाना, उपद्रवी दृश्य उत्पन्न करना तथा इसी प्रकार से अन्य बातें शामिल हैं, अथवा
(x) परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा नियुक्त स्टाफ को परेशान करना या शारीरिक क्षति पहुंचाना, अथवा
(xi) परीक्षा के दौरान कोई मोबाइल फोन/पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या
(xii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ जारी किए गए किसी अनुदेश का उल्लंघन करना, अथवा
(xiii) ऊपर खण्डों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करना या करने के लिए उकसाना तो उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :
  (क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है अथवा
  (ख) उसे अस्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए :
    1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए
    2) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जा सकता है, और
  (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है.

बशर्ते कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं लगाई जाएगी जब तक :

1) उम्मीदवार को इस सम्बंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और
2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो.

6. आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख :

(क) ऑनलाइन

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र **18 जुलाई, 2011 रात्रि 11 बजकर 59 मिनट** तक भरे जा सकते हैं, इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा.

(ख) तथापि, असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उपमंडल तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप में रह रहे उम्मीदवारों के लिए ऑफलाइन आवेदन करने का भी विकल्प है यदि ऐसे उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उनसे केवल **डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त होने वाले ऑफलाइन आवेदन प्रपत्रों, जो कि उल्लिखित दूरवर्ती क्षेत्रों से पोस्ट किए गए हों, की अंतिम तारीख 25 जुलाई 2011** है.

अतिरिक्त समय सीमा के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के कालम 13 में अपने आवासीय पते में उस विशेष क्षेत्र अथवा प्रदेश, (अर्थात् असम, मेघालय, जम्मू एवं कश्मीर आदि) जहां उनका निवास हो, के क्षेत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना चाहिए. यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त समय का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

टिप्पणी : उम्मीदवार स्पष्ट रूप से यह नोट कर लें कि उनका आवेदन प्रपत्र प्राप्त न होने अथवा किन्हीं अन्य कारणों से विलम्ब से प्राप्त होने के लिए किसी भी परिस्थिति में आयोग उत्तरदायी नहीं होगा. निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन प्रपत्र पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा और विलम्ब से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन प्रपत्रों को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा. अतः वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके आवेदन प्रपत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग के कार्यालय में पहुंच जाएं.

7. ऑफलाइन आवेदन प्रपत्रों की पावती :

उल्लिखित दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों से ऑफलाइन आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के तत्काल बाद उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र के साथ जमा किए गए पावती कार्ड को उनके आवेदन की प्राप्ति के प्रमाणस्वरूप आयोग कार्यालय द्वारा विधिवत मुहर लगाकर पावती कार्ड उम्मीदवार को भेज दिए जाएंगे. यदि ऐसा कोई उम्मीदवार 30 दिनों के अंदर पावती कार्ड नहीं पाता है, तो उसे अपने आवेदन प्रपत्र संख्या एवं परीक्षा का नाम और वर्ष दर्शाते हुए आयोग से अविलंब संपर्क करना चाहिए. केवल इस तथ्य से कि उम्मीदवार का आवेदन प्रपत्र आयोग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी को स्वीकार कर लिया गया है. उम्मीदवारों को उनके परीक्षा में प्रवेश अथवा उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किये जाने के बारे में शीघ्रातिशीघ्र सूचित कर दिया जायेगा.

8. आयोग के साथ पत्र-व्यवहार :

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी के बारे में पत्र-व्यवहार नहीं करेगा.

(i) इस परीक्षा के प्रत्येक उम्मीदवार को उसके आवेदन प्रपत्र के परिणाम की सूचना यथाशीघ्र दे दी जाएगी. परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों को अनुक्रमांक दर्शाते हुए प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा. प्रवेश प्रमाण पत्र पर उम्मीदवार का फोटोग्राफ होगा. **यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से तीन सप्ताह पूर्व प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबद्ध कोई अन्य सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए.** ऐसी किसी सूचना के प्राप्त होने पर प्रवेशित उम्मीदवार को प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी अनुलिपि भेज दी जायेगी. इस संबंध में जानकारी आयोग के परिसर में स्थित सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष संख्या : 011-23385271/ 011-23381125/ 011-23098543 से भी प्राप्त की जा सकती है. **यदि किसी उम्मीदवार से प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के लिये वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा.** यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रवेश प्रमाण पत्र उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिए गए पते की फोटो कापी लेकर जारी किये जायेंगे. अतः उम्मीदवार ये सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिया गया पता पिन कोड सहित पूर्ण है.

सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश प्रमाण-पत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रवेश प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर उसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर संघ लोक सेवा आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें.

उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन-प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर अनंतिम रहेगा. यह आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों के सत्यापन के अध्यधीन होगा.

केवल इस तथ्य का कि किसी उम्मीदवार को उक्त परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है यह अर्थ नहीं होगा कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से ठीक मान ली गई है या कि उम्मीदवार द्वारा अपने परीक्षा के आवेदन प्रपत्र में की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं. उम्मीदवार नोट कर लें कि आयोग उम्मीदवार के केन्द्रीय पुलिस बल (लिखित) परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही उसकी पात्रता की शर्तों का मूल प्रलेखों से सत्यापन का मामला उठाता है. आयोग द्वारा औपचारिक रूप से उम्मीदवारी की पुष्टि कर दिये जाने तक उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी.

उक्त परीक्षा हेतु उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने तथा वह परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं, इस बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा.

उम्मीदवार ध्यान रखें कि प्रवेश प्रमाण पत्र में कहीं- कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप से लिखे जा सकते हैं.

(ii) उम्मीदवार को आयोग से एक से अधिक प्रवेश प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की स्थिति में, परीक्षा देने के लिए, उनमें से केवल एक ही प्रवेश प्रमाण पत्र का प्रयोग करना चाहिए तथा अन्य आयोग के कार्यालय को लौटा दिए जाने चाहिए.

(iii) उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गये पत्र आदि, आवश्यक होने पर उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें. पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना यथाशीघ्र दी जानी चाहिए. आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है, किन्तु इस विषय में वह कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता.

(iv) यदि उम्मीदवार को भूलवश किसी दूसरे उम्मीदवार का प्रवेश प्रमाण पत्र मिल जाये तो उसे आयोग को तुरंत सही प्रवेश प्रमाण पत्र जारी करने के निवेदन के साथ लौटा दिया जाना चाहिए. उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि उन्हें किसी दूसरे उम्मीदवार को जारी किए गए प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

महत्वपूर्ण :

आयोग के साथ सभी पत्र-व्यवहार में नीचे लिखा ब्यौरा अनिवार्य रूप से होना चाहिए.

1. **परीक्षा का नाम और वर्ष.**
2. **आवेदन प्रपत्र संख्या**
3. **अनुक्रमांक (यदि प्राप्त हो चुका हो).**
4. **उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा स्पष्ट अक्षरों में).**
5. **आवेदन प्रपत्र में दिया गया डाक का पूरा पता.**

कृपया ध्यान दें : (i) जिन पत्रों में यह ब्यौरा नहीं होगा, संभव है कि उन पर ध्यान न दिया जाए.

कृपया ध्यान दें : (ii) उम्मीदवारों को अपने आवेदन प्रपत्र की संख्या भविष्य में संदर्भ के लिए नोट कर लेनी चाहिए. उम्मीदवारों के लिए शारीरिक एवं चिकित्सा मानदण्ड परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) तथा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के संबंध में इस संख्या को निर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित होगा.

9. आवेदन प्रपत्रों की वापसी :

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद उम्मीदवारी की वापसी के लिए उम्मीदवार के किसी प्रकार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा.

10. सेवा आवंटन :

शारीरिक मानदंड/शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा चिकित्सा मानदण्ड परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र को भरते समय निर्दिष्ट की गई सेवा वरीयता तथा योग्यता सूची में स्थिति के आधार पर सेवा का आवंटन किया जाएगा. महिला उम्मीदवारों की नियुक्ति केवल के.रि.पु. बल, के.औ.सु. बल तथा स.सी. बल में की जाएगी, अतः उन्हें केवल के.रि.पु. बल, के.औ.सु. बल तथा स.सी. बल के लिए अपनी सेवा वरीयता को निर्दिष्ट करना अपेक्षित होगा.

11. अन्य जानकारी :

उम्मीदवार परीक्षा से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए नीचे निर्दिष्ट किए गए परिशिष्टों का संदर्भ लें :

(क)	चयन प्रक्रिया तथा परीक्षा का पाठ्य विवरण	परिशिष्ट-I
(ख)	आवेदन प्रपत्र को भरने के लिए उम्मीदवारों को निर्देश	परिशिष्ट-II
(ग)	उन प्रधान डाकघरों/ डाकघरों की सूची जहां से आवेदन प्रपत्र खरीदे जा सकते हैं.	परिशिष्ट-III
(घ)	वस्तुपरक प्रकार के परीक्षणों के लिए विशेष अनुदेश	परिशिष्ट-IV
(ङ)	परंपरागत प्रकार के प्रश्नपत्रों के लिए विशेष अनुदेश	परिशिष्ट-V
(च)	शारीरिक एवं चिकित्सा मानदण्ड	परिशिष्ट-VI

(कुलदीप कुमार सहरावत)
उप सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-I
चयन प्रक्रिया/परीक्षा की योजना तथा पाठ्यविवरण

(क) चयन प्रक्रिया/योजना

चयन प्रक्रिया/परीक्षा की योजना निम्नलिखित होगी :

(i) **लिखित परीक्षा :** संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा **24 अक्तूबर, 2011** को होगी तथा इसमें दो प्रश्न पत्र शामिल होंगे. प्रश्न-पत्र I **प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक** होगा तथा प्रश्न-पत्र II **सायं 2 बजे से सायं 5 बजे तक** होगा.

प्रश्न-पत्र I : सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमत्ता - 250 अंक

इस प्रश्न पत्र में प्रश्न वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प प्रकार के उत्तर) प्रकार के होंगे जिसमें प्रश्नपत्र हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी होंगे.

प्रश्न-पत्र II : सामान्य अध्ययन, निबंध एवं अपठित गद्यांश (काम्प्रीहेन्शन) - 200 अंक

इस प्रश्न-पत्र में उम्मीदवारों को निबंध अंग्रेजी या हिन्दी में लिखने के विकल्प की अनुमति होगी किन्तु संक्षेपण लेखन, अपठित गद्यांश (काम्प्रीहेन्शन) **एवं अन्य संचार/भाषा कौशल केवल अंग्रेजी** में ही लिखने की अनुमति होगी.

टिप्पणी I : उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रश्न-पत्र II के उत्तर विभिन्न संघटकों के लिए, जैसा कि ऊपर वर्णन किया है, आयोग द्वारा अनुमत माध्यम में ही लिखें. प्रश्न पत्र में अनुमत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में उत्तर लिखने के लिए कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा. उम्मीदवारों को निबंध लिखने का माध्यम उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में **निर्दिष्ट** करना होगा. निबंध के लिए कोई श्रेय नहीं दिया जायेगा यदि उम्मीदवार उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में उस माध्यम से भिन्न माध्यम दर्शाता है जिसमें उसने निबंध लिखा है.

टिप्पणी II : प्रत्येक प्रश्न-पत्र में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक होंगे जो आयोग द्वारा अपने विवेकाधिकार पर निश्चित किए जाएंगे. प्रश्न पत्र-I का मूल्यांकन पहले किया जाएगा तथा प्रश्न पत्र-II का मूल्यांकन केवल उन उम्मीदवारों का किया जाएगा जो प्रश्न-पत्र-I में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करते हैं.

(ii) **शारीरिक मानदण्ड/शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सा मानदंड परीक्षण :** जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में अर्हक घोषित किए जाते हैं, उन्हें शारीरिक मानदण्ड/शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सा मानदंड परीक्षण के लिए भेजा जाएगा. वे उम्मीदवार जो इस नोटिस के **परिशिष्ट-VI** में विनिर्धारित शारीरिक मानदण्डों को पूरा करते हैं उनका शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) किया जाएगा जिसे नीचे दर्शाया गया है :

शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी)

		पुरुष	महिला
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	100 मीटर दौड़	16 सेकेण्ड में	18 सेकेण्ड में
(ख)	800 मीटर दौड़	3 मिनट 45 सेकंड में	4 मिनट 45 सेकंड में
(ग)	लम्बी कूद	3.5 मीटर (3 अवसर)	3 मीटर (3 अवसर)
(घ)	गोला फेंकना (शॉट पुट) (7.26 किलो)	4.5 मीटर	

शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) के समय गर्भावस्था अयोग्यता होगी तथा गर्भवती महिला उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा.

जो उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हक घोषित किए जाते हैं केवल उन उम्मीदवारों का ही चिकित्सा मानदण्ड परीक्षण किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो जाये कि वे इस नोटिस के **परिशिष्ट-VI** में निर्धारित चिकित्सा मानदण्डों को पूरा करते हैं.

शारीरिक मानदण्ड/शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सा मानदण्ड परीक्षण का संचालन गृह मंत्रालय द्वारा नामित नोडल प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में होगा. ये परीक्षण विभिन्न केन्द्रों में आयोजित किए जाएंगे जिन्हें लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद अधिसूचित किया जाएगा.

केवल चिकित्सा मानदण्ड परीक्षणों के विरूद्ध अपील स्वीकार की जाएगी जो इन परीक्षणों के परिणाम घोषित होने के 15 दिन की अवधि के अंदर गृह मंत्रालय द्वारा नामोद्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी को की जानी चाहिए.

(iii) **साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण :** जिन उम्मीदवारों को चिकित्सा मानदण्ड परीक्षणों में अर्हक घोषित किया जाता है उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा. वे उम्मीदवार जो चिकित्सीय आधार पर अयोग्य घोषित किए जाते हैं किन्तु उन्हें उनकी अपील के आधार पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा "समीक्षा चिकित्सा बोर्ड" के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है उन्हें साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अनंतिम रूप से बुलाया जाएगा. साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण **150 अंकों** का होगा.

साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बनाई गई उम्मीदवारों की लघु सूची सहित अनंतिम रूप से साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बनाई गई लघु सूची हेतु उम्मीदवारों को विस्तृत आवेदन प्रपत्र जारी किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ सेवा की वरीयताएं निर्दिष्ट करने को कहा जाएगा. चूंकि महिला उम्मीदवार केवल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल के लिए ही पात्र हैं, उन्हें केवल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल के लिए ही अपनी वरीयता निर्दिष्ट करना अपेक्षित होगा.

(iv) **अंतिम चयन/योग्यता :** योग्यता सूची उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर बनाई जाएगी.

(ख) लिखित प्रश्न-पत्रों के पाठ्यविवरण :

प्रश्न पत्र I : सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमत्ता :

इस प्रश्न-पत्र में बहुविकल्प प्रश्नों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जो व्यापक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित होंगे :

 # 1. सामान्य मानसिक योग्यता :

ये प्रश्न **तार्किक विवेचना,** गणितीय अभिरूचि सहित संख्यात्मक योग्यता एवं **आंकड़ों के** निर्वचन के परीक्षण हेतु तैयार किए जाएंगे.

 # 2. सामान्य विज्ञान :

ये प्रश्न सामान्य **जागरूकता,** वैज्ञानिक प्रकृति, नये क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी जैव-प्रौद्योगिकी **एवं** पर्यावरणीय विज्ञान **आदि जैसे नए** महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित वैज्ञानिक घटनाओं के दैनिक प्रेक्षण की समझ (परिज्ञान) एवं मूल्यांकन के परीक्षण हेतु तैयार **किए जाएंगे.**

 # 3. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सम-सामयिक घटनाएं :

इन प्रश्नों से संस्कृति, संगीत, कला, साहित्य, खेल, शासन, सामाजिक तथा विकासात्मक **मुद्दों,** उद्योग, व्यवसाय, भूमंडलीकरण तथा राष्ट्रों के बीच पारस्परिक प्रभाव **जैसे व्यापक क्षेत्रों में** राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सम-सामयिक घटनाओं से संबंधित उम्मीदवारों **की जागरूकता का** परीक्षण किया **जाएगा.**

 # 4. भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था :

इन प्रश्नों से उम्मीदवारों से देश की राजनीतिक व्यवस्था तथा भारत के संविधान, सामाजिक व्यवस्था और लोक प्रशासन, भारत में आर्थिक विकास; **क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों एवं मानवाधिकार** सहित इसके सूचकों के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा.

 # 5. भारत का इतिहास :

ये प्रश्न व्यापक रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक **पहलुओं** के विषयों में संबंधित होंगे. **इनमें** राष्ट्रवाद की प्रगति तथा स्वतंत्रता आन्दोलन के क्षेत्र भी शामिल होंगे.

 # 6. भारत एवं विश्व का भूगोल :

ये प्रश्न भारत तथा विश्व से संबंधित भूगोल के भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं से संबंधित होंगे.

प्रश्नपत्र-II : सामान्य अध्ययन, निबंध एवं अपठित गद्यांश - 200 अंक

भाग क - निबंध प्रकार के प्रश्न, जिनके उत्तर लम्बे वर्णनात्मक रूप में हिन्दी या अंग्रेजी में दिए जाने हैं, कुल 80 अंकों के होंगे । निर्देशात्मक विषय हैं - आधुनिक भारतीय इतिहास विशेषतया स्वतंत्रता संग्राम, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था सुरक्षा तथा मानवाधिकार मुद्दों की जानकारी तथा विश्लेषणात्मक योग्यता.

भाग ख - अपठित गद्यांश, सारांश लेखन, अन्य संचार/भाषा कौशल-जिनके उत्तर केवल अंग्रेजी में दिए जाने हैं (अंक-120) - विषय हैं - अपठित गद्यांश, सारांश लेखन, प्रति-तर्क विकास, सामान्य व्याकरण तथा भाषा परीक्षण के अन्य पक्ष.

परिशिष्ट-II (क)
ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अनुदेश

उम्मीदवारों को **http://www.upsconline.nic.in** का प्रयोग करके ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित होगा.

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र संबंधी प्रक्रिया की मुख्य बातें नीचे दी गयी हैं :

- ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी विस्तृत अनुदेश उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
- उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध अनुदेशों के अनुसार ड्रॉप डाउन मीनू के माध्यम से उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को पूरा करना अपेक्षित होगा, जिसके दो स्तर होंगे यथा भाग-I और भाग-II में.
- ऑनलाइन आवेदन कर रहे उम्मीदवार (केवल महिला/अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवार जिन्हें शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है) को भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में नकद जमा करके या भारतीय स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड का प्रयोग करके 100 रु. (एक सौ रुपये केवल) के शुल्क का भुगतान करना होगा.
- ऑनलाइन आवेदन भरना आरंभ करने से पहले उम्मीदवार को अपना फोटोग्राफ और हस्ताक्षर **.जेपीजी** प्रारूप में विधिवत इस प्रकार स्कैन किया जाए कि प्रत्येक फाइल 40 केबी से अधिक नहीं हो.
- ऑनलाइन आवेदन (भाग-I और भाग-II) को **दिनांक 18 जून, 2011 से 18 जुलाई, 2011 के दौरान रात 11 बजकर 59 मिनट रात्रि** तक भरा जा सकता है जिसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा.

परिशिष्ट-II (ख)
विनिर्दिष्ट दूरवर्ती क्षेत्रों (पैरा 6 में वर्णित) में रहने वाले उम्मीदवार जो ऑफलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं, के लिए सामान्य अनुदेश/मार्ग निर्देश

सामान्य अनुदेश :

1. उम्मीदवार, **संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए परिशिष्ट-III में सूचीबद्ध किसी भी विनिर्दिष्ट प्रधान डाकघर/डाकघर से खरीदी गई सूचना विवरणिका पुस्तिका के साथ दी गई ओएमआर प्रविष्टियों पर आधारित केवल नए सामान्य आवेदन प्रपत्र (फार्म-ई) (मूल्य 30 रु.) का ही इस्तेमाल करें.** प्रपत्र केवल विनिर्दिष्ट डाकघरों से ही खरीदे जाएं और किसी अन्य एजेंसी से नहीं. उम्मीदवार, सूचना विवरणिका के साथ उपलब्ध कराए गए प्रपत्र का ही प्रयोग करें और **वे किसी भी स्थिति में प्रपत्र की छाया प्रति/प्रतिलिपि/अनधिकृत मुद्रित प्रति का प्रयोग न करें.** आयोग कार्यालय द्वारा प्रपत्र की आपूर्ति नहीं की जाएगी.
2. उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र अपने हस्तलेख में ही भरना चाहिए. चूंकि, इस आवेदन प्रपत्र की जांच कंप्यूटर मशीन द्वारा की जाएगी, उम्मीदवार **आवेदन प्रपत्र को संभालने और उसे भरने में पर्याप्त ध्यान दें. वृत्तों को काला करने के लिए वे केवल काले बाल प्वाइंट पेन का इस्तेमाल करें. लिखने के लिए भी उन्हें काला बाल प्वाइंट पेन का ही इस्तेमाल करना चाहिए.**

   चूंकि कंप्यूटरीकृत मशीनों पर आवेदन प्रपत्रों की जांच करते समय उम्मीदवार द्वारा वृत्तों को काला करके की गई प्रविष्टियों पर ही ध्यान दिया जाएगा. इसलिए अपनी प्रविष्टियां काफी सावधानी से और सटीक रूप में भरनी चाहिए.
3. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा सभी स्थानों अर्थात् उनके आवेदन प्रपत्र, उपस्थिति सूची आदि और आयोग के साथ सभी पत्राचार, में किए गए हस्ताक्षर समरूप हों और उनमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता न हो. यदि उनके द्वारा विभिन्न स्थानों पर उम्मीदवार द्वारा अनुबद्ध किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.

4. मूल आवेदन प्रपत्र में की गयी प्रविष्टियों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
5. उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे **यह सुनिश्चित कर लें कि उनका आवेदन पत्र अंतिम तारीख को या उससे पूर्व आयोग के कार्यालय में पहुंच जाए.** अंतिम तारीख के बाद आयोग कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा.
6. उम्मीदवार अपना आवेदन प्रपत्र भरते समय, अपने परीक्षा केंद्र के चयन का निर्णय सावधानीपूर्वक करें. किसी भी उम्मीदवार द्वारा दिए गए एक से अधिक आवेदन पत्र को, जिसमें अलग-अलग केन्द्रों का उल्लेख किया गया होगा, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा. चाहे कोई उम्मीदवार एक से अधिक, पूर्ण भरे आवेदन पत्र भेजता है, आयोग अपने विवेक से केवल एक आवेदन को स्वीकार करेगा और इस मामले में आयोग का निर्णय अंतिम होगा.
7. उम्मीदवारों को चाहिए कि वे **पावती कार्ड पर** अपना **आवेदन प्रपत्र सं.** (जैसा कि प्रपत्र पर बार कोड के नीचे मुद्रित हैं) और परीक्षा का नाम अर्थात् **''केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2011''** लिखें. उन्हें पावती कार्ड पर साफ-साफ और स्पष्ट शब्दों में अपने पत्राचार का पता लिखना चाहिए. कार्ड पर 6/- रु. का डाक टिकट चिपकाना चाहिए. **पावती कार्ड को आवेदन प्रपत्र के साथ स्टैपल या आलपिन लगाकर नत्थी न करें या प्रपत्र के साथ न चिपकाएं.**

पात्रता शर्तें (संक्षेप में)

(क) आयु सीमा :
केवल वे उम्मीदवार ही आवेदन करने/बैठने के पात्र हैं जिनका जन्म 2 अगस्त, 1986 से पहले तथा पहली अगस्त, 1991 के बाद का न हो (अ.जा./अ.ज.जा./अन्य. पिछड़े वर्गों तथा नोटिस के पैरा 3 (III) में यथानिर्दिष्ट कतिपय अन्य वर्गों के उम्मीदवारों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में छूट है.)

(ख) लिंग :
सी.आर.पी.एफ., सी.आई.एस.एफ. और एस.एस.बी. के लिए पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार ही पात्र हैं. बी.एस.एफ. और आई.टी.बी.पी. के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार ही पात्र हैं.

(ग) शैक्षिक योग्यताएं :
उम्मीदवार के पास भारत में केन्द्र या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा संस्थापित किसी भी विश्वविद्यालय अथवा संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य शैक्षिक संस्थाओं अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानद विश्वविद्यालय के रूप में घोषित विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए. [नोटिस का पैरा 3(IV)]

(घ) शुल्क :
विनिर्दिष्ट दूरवर्ती क्षेत्रों से ऑफलाइन आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के लिए 200/- रु. (केवल दो सौ रु.) (केवल महिला/अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं) (संदर्भ नोटिस का पैरा 4)

केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2011 के लिए विनिर्दिष्ट दूरवर्ती क्षेत्रों से आवेदन प्रपत्र (प्रपत्र-ई) भरकर ऑफलाइन आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के लिए अनुदेश

महत्वपूर्ण : इस प्रपत्र को भरने के लिए केवल काले बॉल प्वाइंट पेन का ही इस्तेमाल करें.

कॉलम-1 आवेदन प्रपत्र का पृष्ठ-1

कॉलम-1 : आवेदित परीक्षा (यदि पात्र हैं)
परीक्षा का नाम **CENTRAL POLICE FORCE (ASSISTANT COMMANDANT) EXAMINATION** (केवल अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखें).
परीक्षा का वर्ष, 2011 लिखें.
परीक्षा कोड के रूप में वृत्त **10** को काला करें.

कॉलम-2 : उम्मीदवार का नाम
इस कालम को भरने के लिए, बॉक्सों में पहले अपना पूरा नाम (अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में) ठीक वैसे ही लिखें, जैसा आपके मैट्रिकुलेशन/हाई स्कूल/सैकेण्ड्री अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज है. एक बॉक्स में एक ही अक्षर लिखें. नाम के दो हिस्सों के बीच के एक बॉक्स को खाली छोड़ें. तत्पश्चात्, प्रत्येक अक्षर के नीचे के वृत्त को काला करें. खाली बॉक्स के नीचे वाले वृत्त को काला न करें. अपने नाम से पहले किसी उपसर्ग जैसे श्री, कुमारी, डॉ. इत्यादि का प्रयोग न करें.

कॉलम-3 : जन्म की तारीख
अपने मैट्रिकुलेशन/हाई स्कूल/सैकेण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज अपने जन्म के दिन, महीने और वर्ष के लिए उपयुक्त वृत्त को काला करें.

कॉलम-4 : लिंग
अपने मामले में लागू उपयुक्त वृत्त को काला करें.

कॉलम-5 : राष्ट्रीयता
अपने मामले में लागू उपयुक्त वृत्त को काला करें.

कॉलम-6 : वैवाहिक स्थिति
अपने मामले में लागू उपयुक्त वृत्त को काला करें.

कॉलम-7 : केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट
केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2011 के लिए देय शुल्क 200/- रु. (केवल दो सौ रुपये) है. महिला/अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा.
शुल्क केवल केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट (न कि डाक टिकट) के माध्यम से ही देय है. भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार्य नहीं है. डाकघर से अपेक्षित मूल्य वर्ग का केवल एक ही के.भ.शु. टिकट लें और उसे अच्छी प्रकार से बॉक्स के अन्दर चिपका दें. प्रपत्र पर के.भ.शु. टिकट चिपकाने के बाद, उसे उसी डाकघर से, जहां से वह खरीदी गई थी, यथास्थान पर निरस्त करवा लें.
के.भ.शु. टिकट को स्टेपल न करें.

कॉलम-8 : पिता का नाम
अपने पिता का नाम (अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में) लिखें. प्रत्येक बॉक्स में एक ही अक्षर लिखें, नाम के दो हिस्सों के बीच के एक बॉक्स को खाली छोड़ें. नाम से पहले किसी उपसर्ग जैसे श्री, डॉ. इत्यादि का प्रयोग न करें.

कॉलम-9 माता का नाम
अपनी माता का नाम (अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में) लिखें. प्रत्येक बॉक्स में एक ही अक्षर लिखें, नाम के दो हिस्सों के बीच के एक बॉक्स को खाली छोड़ें. नाम से पहले किसी उपसर्ग जैसे सुश्री, श्रीमती, डॉ. इत्यादि का प्रयोग न करें.

कॉलम-10 : परीक्षा केन्द्र कोड
नीचे दी गई सूची में से उस उपयुक्त परीक्षा केन्द्र कोड का चयन करें, जहां आप केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2011 में सम्मिलित होना चाहते हैं. इसके बाद उपयुक्त वृत्तों को काला कर दें.

केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2011 के केन्द्रों और उनके कोडों की सूची

परीक्षा केन्द्रों की सूची

केन्द्र	कोड	केन्द्र	कोड	केन्द्र	कोड
अगरतला	45	गंगटोक	42	पणजी (गोवा)	36
अहमदाबाद	01	हैदराबाद	10	पटना	15
ऐज़ल	47	इम्फाल	44	पोर्ट ब्लेयर	37
इलाहाबाद	02	इटानगर	48	रायपुर	49
बैंगलोर	03	जयपुर	11	रांची	41
बरेली	54	जम्मू	34	सम्बलपुर	53
भोपाल	04	जोरहाट	46	शिलांग	16
चंडीगढ	35	कोच्चि	24	शिमला	17
चेन्नई	12	कोहिमा	43	श्रीनगर	18
कटक	07	कोलकाता	06	तिरूवनंतपुरम	19
देहरादून	14	लखनऊ	26	तिरूपति	50
दिल्ली	08	मदुरै	40	उदयपुर	52
धारवाड़	39	मुम्बई	05	विशाखापटनम	51
दिसपुर	09	नागपुर	13		

कॉलम-11 : शैक्षिक योग्यता कोड
नीचे दी गई सारणी में से अपने मामले से संबंधित उचित कोड का चयन करें और आपके मामले में लागू उपयुक्त वृत्त को काला करें.

कोड	शैक्षिक योग्यता
01	यदि आप डिग्री या समकक्ष परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण कर चुके है.
02	यदि आप डिग्री या समकक्ष परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं/दे चुके हैं.

कॉलम-12 : आयु में छूट संबंधी कोड
यदि आप आयु में छूट का दावा कर रहे हैं, नीचे दी गई सारणी में से सही वर्ग कोड का चयन करें और अपने मामले में लागू उपयुक्त वृत्तों को काला करें.
वर्ग-आयु में छूट संबंधी कोड
नोटिस के पैरा 3 (III)(ख) देखें.

कोड नं.	वर्ग	आयु सीमा में अनुमेय छूट
01	अ.जा. एवं अ.ज.जा. के लिए	5 वर्ष
02	अ.पि.व. के लिए	3 वर्ष
03	भूतपर्वू सैनिक/असैनिक केन्द्र सरकार के कर्मचारी	5 वर्ष
04	भूतपर्वू सैनिक /असैनिक केन्द्र सरकार के कर्मचारी + अ.जा./अ.ज.जा.	10 वर्ष
05	भूतपूर्व सैनिक/असैनिक केन्द्र सरकार के कर्मचारी + अ.पि.व.	8 वर्ष ,
06.	ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने सामान्यतया 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो,	5 वर्ष
07	ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने सामान्यतया साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो, (जैसा कि कोड सं. 15 में) + अ.जा./अ.ज.जा.	10 वर्ष
08	ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने सामान्यतया साधारणतया जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिवास किया हो, (जैसा कि कोड सं. 15 में) + अ.पि.व.	08 वर्ष

कॉलम-13 : सुदूर क्षेत्र कोड
यदि आप परीक्षा के नोटिस के पैरा 6 में निर्दिष्ट सुदूर क्षेत्र में रह रहे हैं तो नीचे दी गई तालिका से संगत कोड का चयन करें तथा उपयुक्त गोले को काला करें.

सुदूर क्षेत्रों के लिए क्षेत्र कोड

क्षेत्र	कोड	क्षेत्र	कोड
असम	01	सिक्किम	08
मेघालय	02	जम्मू और कश्मीर	09
अरूणाचल प्रदेश	03	हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले का पांगी उप-मंडल	10
मिज़ोरम	04		
मणिपुर	05		
नागालैंड	06	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	11
त्रिपुरा	07	लक्षद्वीप	12

कृपया ध्यान दें : परीक्षा के नोटिस में निर्दिष्ट सुदूर क्षेत्र में रह रहे उम्मीदवार केवल डाक/स्पीड पोस्ट से ऑफलाइन आवेदन पत्र जमा कराने के लिए एक सप्ताह के अतिरिक्त समय के हकदार होंगे.

कॉलम-14 : अदा की गई शुल्क की राशि
यदि आपने अपेक्षित शुल्क अदा किया है तो संगत मूल्य वर्ग के गोले को काला करें; अथवा
यदि आपने अपेक्षित शुल्क अदा नहीं किया है और महिला या अ.जा./अ.ज.जा. की हैसियत से शुल्क में छूट प्राप्ति का दावा किया है तो 'शुल्क में छूट' के गोले को काला करें.
कृपया ध्यान दें : कालम 7 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार शुल्क केवल केंद्रीय भर्ती शुल्क टिकट के रूप में देय है.

कॉलम-15 : समुदाय
आप जिस समुदाय से संबंधित हैं, उसके सामने उपयुक्त गोले को काला करें.
टिप्पणी-1 : अन्य पिछड़े वर्ग के उन उम्मीदवारों को, जो 'क्रीमी लेयर' में आते हैं और इस प्रकार अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के पात्र नहीं हैं, उन्हें अपना समुदाय 'सामान्य-वर्ग' के रूप में दर्शाना चाहिए.

टिप्पणी-2 : वे उम्मीदवार जो न तो अ.जा., अ.ज.जा. के और न ही अ.पि.व समुदायों के हैं, उन्हें समुदाय वाले कॉलम में (समान्य-वर्ग) को काला करना चाहिए तथा उसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए.

टिप्पणी-3 : उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन प्रपत्र में दर्शाए गए समुदाय की स्थिति में, आयोग द्वारा साधारणतः बाद में किसी स्तर पर परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

कॉलम-16 : अल्पसंख्यक संबंधी स्थिति

यदि आप किसी भी विनिर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम/ईसाई/सिक्ख/बौद्ध/पारसी) से संबंधित हैं तो अपने मामले में लागू उपयुक्त गोले को काला करें.

कॉलम-17 : शारीरिक रूप से विकलांग

चूंकि शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा के लिए पात्र नहीं हैं, इस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों द्वारा इस कॉलम को भरने की आवश्यकता नहीं है. अतः, आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें.

कॉलम-18 : पता

अपना पूरा डाक का पता, जिसमें आपका नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में इस प्रयोजन के लिए दिए गए बॉक्स में लिखें. दिए गए बॉक्स में पिन कोड भी लिखें. केवल काले बॉल प्वाइंट पेन से लिखें. बॉक्स के बाहर न लिखें. कृपया नोट कर लें कि आपको भेजे जाने वाले सभी पत्रों पर इसी पते की फोटो कापी का प्रयोग किया जाएगा और इसलिए यह स्पष्ट रूप से लिखा और पठनीय होना चाहिए.

कॉलम-19 : फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर

अपना हाल ही का 3.5 से.मी.x4.5 से.मी. आकार का फोटोग्राफ, जिसमें आपका नाम एवं जन्म की तारीख मुद्रित हो, दिए गए स्थान में अच्छी तरह से चिपका दें. फोटोग्राफ को स्टेपल न करें. फोटोग्राफ न तो आपके द्वारा हस्ताक्षरित हो और न ही अनुप्रमाणित होना चाहिए. आप अपने हस्ताक्षर काले बॉल प्वाइंट पेन से फोटोग्राफ के नीचे दिए गए स्थान पर भी करें.

आवेदन प्रपत्र का पृष्ठ 2

कॉलम-20 से 24

केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को इनमें से कोई भी कॉलम भरने की आवश्यकता नहीं है. अतः, उन्हें, इन कॉलमों को खाली छोड़ देना चाहिए.

कॉलम-25 :

केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा

केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र-II के निबंध भाग के लिए परीक्षा का माध्यम :

निबंध भाग के लिए परीक्षा का माध्यम के सामने दिए गए उपयुक्त वृत्त को काला करें.

(ii) भूतपूर्व सैनिक : यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो 'हां' के सामने दिए वृत्त को काला करें अन्यथा 'नहीं' को.

कॉलम-26 से 27 :

केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को इन कॉलमों को भरने की आवश्यकता नहीं है. अतः, उन्हें इन कॉलमों को खाली छोड़ देना चाहिए.

कॉलम-28 : घोषणा

उम्मीदवार हस्ताक्षर करने से पहले घोषणा को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और उसके बाद हस्ताक्षर करें.

कॉलम-29 :

अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, इस उद्देश्य के लिए दिए गए बॉक्स में लिखें.

कॉलम-30 : उम्मीदवार के हस्ताक्षर

अपने सामान्य हस्ताक्षर दिए गए बॉक्स के अन्दर काले बॉल पेन से करें. आपके हस्ताक्षर दिए गए बॉक्स से बाहर न जाएं और न ही उसकी सीमा को छूएं. हस्ताक्षर के स्थान पर केवल बड़े अक्षरों में अपना नाम न लिखें. हस्ताक्षरित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे.

प्रपत्र पर स्थान तथा हस्ताक्षर करने की तारीख भी इस उद्देश्य के लिए दिए गए स्थान पर लिखें.

कॉलम-31 : दिए गए बॉक्स में अपना एसटीडी कोड सहित टेलीफोन नम्बर लिखें

कॉलम-32 : दिए गए बाक्स में अपना मोबाइल नम्बर लिखें

कॉलम-33 : दिए गए बॉक्स में अपना ई-मेल आई डी लिखें.

आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले निम्नलिखित की जांच कर लें कि

1. आपने केवल निर्दिष्ट किए प्रधान डाकघर/डाकघर से खरीदे गए नए आवेदन प्रपत्र (प्रपत्र-ई) जिनका मूल्य 30/- रु. है, का प्रयोग किया है.
2. आपने आवेदन प्रपत्र के सभी संगत कॉलमों अर्थात् 1 से 16,18,19,25, और 28 से 33 के उपयुक्त वृत्तों को काला करके भर दिया है.
3. आपने आवेदन प्रपत्र के कालॅम 19 में अपना हाल ही का फोटोग्राफ (अहस्ताक्षरित एवं असत्यापित) जिस पर अपना नाम और जन्मतिथि लिखी हो, चिपका दिया है.
4. यदि आपके द्वारा शुल्क अदा किया जाना अपेक्षित है तो आपने अपने आवेदन प्रपत्र के कालॅम 7 में अपेक्षित मूल्यवर्ग का केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट चिपकाया है तथा इसे जारी करने वाले डाकघर द्वारा रद्द करवाया है.
5. आपने आवेदन प्रपत्र के कॉलम 19 के नीचे दिए गए बॉक्स में और कॉलम 30 में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर किया है.
6. आपने पावती पत्र पर निर्धारित स्थान पर साफ-साफ अक्षरों में अपना आवेदन प्रपत्र सं. और अपना पता लिख दिया है.
7. आपने पावती पत्र पर 6/- रु. (केवल छह रु.) का डाक टिकट चिपका दिया है.
8. विवरणिका के साथ आपको दिए लिफाफे में केवल एक आवेदन प्रपत्र तथा एक पावती कार्ड भेजा जा रहा है तथा इसके साथ अन्य कोई संलग्नक नहीं है.
9. आपने आवेदन प्रपत्र एवं पावती कार्ड को भेजने वाले लिफाफे के ऊपर परीक्षा का नाम अर्थात् ''केन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा 2011, लिख दिया है.

परिशिष्ट-III

प्रधान डाकघरों/डाकघरों की सूची जहां संघ लोक सेवा आयोग का आवेदन प्रपत्र उपलब्ध है

आंध्रप्रदेश मंडल : हैदराबाद जी.पी.ओ., हैदराबाद जुबली, काचिगुडा स्टेशन, खैराताबाद, सिकन्दराबाद, त्रिमूलगेरी, आदिलाबाद, अनन्तपुर, अरुंडेलपेट (गुंटूर), चित्तूर, कुड्डापा, एलूरू, काकीनाडा, करीमनगर, खम्माम, कुरनूल, मछलीपटनम, महबूबनगर, मेढक, नालगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, ओंगोल, श्रीकाकुलम, विजियानगरम, विजयवाडा, विकाराबाद, विशाखापटनम, वारांगल.

असम मंडल : गुवाहाटी, बरपेटा, धुबरी, डिब्रुगढ़, डिफू, गोलाघाट, हैलाकांडी, जोरहाट, करीमगंज, कोकराझार, मंगलदोई, नगांव, नलबारी, उत्तर लखीमपुर, शिवसागर, सिलचर, तेजपुर, तिनसुकिया.

बिहार मंडल : पटना जी.पी.ओ., बॉकीपुर, आरा, औरंगाबाद, बी. देवघर, बोकारो स्टील सिटी, बांका, बोतियाँ, बेगुसराय, भागलपुर, बिहार शरीफ, बक्सर, चाईबासा, छपरा, डालटेनगंज, दरभंगा, धनबाद, दुमका, गया, गिरिडीह, गोपालगंज, गुमला, हाजीपुर, हजारीबाग, जमशेदपुर, कटिहार, मधुबनी, मोतीहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पुर्णिया, रांची, सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी, सीवान.

दिल्ली मंडल : दिल्ली जी.पी.ओ., नई दिल्ली, इन्द्रप्रस्थ, रमेशनगर, सरोजिनी नगर, लोधी रोड, कृष्ण नगर, अशोक विहार, संसद मार्ग, यू.पी.एस.सी. डाकघर.

गुजरात मंडल : गांधीनगर, अहमदाबाद, अमरेली, आनन्द, भरूच, भावनगर, भुज, दहोड, गोधरा, हिम्मतनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेडा, मेहेसाना, नवरंगपुर, नवसारी, पालनपुर, पाटन, पोरबन्दर, राजकोट, रेवड़ी बाजार, सूरत, सुरेन्द्रनगर, वलसाड, वडोदरा.

हरियाणा मंडल : अम्बाला जी.पी.ओ., अम्बाला सिटी, बहादुरगढ, भिवानी, फरीदाबाद, गुडगांव, हिसार, जीन्द, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत.

हिमाचल प्रदेश मंडल : शिमला, बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगडा, केलांग, कुल्लू, मंडी, नाहन, रिकांग पो, सोलन, ऊना.

जम्मू एवं कश्मीर मंडल : श्रीनगर, अनन्तनाग, बारामूला, जम्मू, कठुआ, लेह, राजौरी, ऊधमपुर, गांधी नगर मुख्यालय, जानीपुर, जम्मू छावनी, साम्बा.

कर्नाटक मंडल : बंगलौर जी.पी.ओ., बंगलौर सिटी, बासावनगुडी, हाल II स्टेज, जयनगर, आर.टी. नगर, बगलकोट, रायचूर, राजाजीनगर, बेलगांव, बेल्लारी, बिदर, बीजापुर, चिकमगलूर, चित्रदुर्गा, देवेनगिरी, धारवाड़, गडग, गुलबर्गा, हासन, हावेरी, हुबली, कारवार, कोलार, मदीकेरे, मानड्या, मंगलौर, मनीपाल, मैसूर, नानजागुड, शिमोगा, सिरसी, तुमकुर, उडूपी.

केरल मंडल : त्रिवेन्द्रम, अल्लीप्पे (अलाप्पुझा), कालीकट, कन्नानोर, एर्नाकुलम, कालपेट्टा, कासरगौड, कट्टप्पना, कोट्टायम, मलप्पुरम, पालघाट, पाथनमथीट्टा, क्विलोन, त्रिचूर, कावारत्ती **(लक्षद्वीप)**.

मध्य प्रदेश मंडल : भोपाल जी.पी.ओ., बिलासपुर, अम्बिकापुर, बालाघाट, बैतूल, भिन्ड, छतरपुर, छिन्दवारा, दामोह, देवास, धाड़, दुर्ग, गुना, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, जगदलपुर, झाबुआ, खण्डवा, खारगोन, लश्कर, मंडला, मंडसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, रायगढ़, रायपुर, रायसेन, राजगढ़ (बिओरा), राजनंदगांव, रतलाम, रीवा, सागर छावनी, सतना, सिहोर, सिओनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, सिधी, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा.

महाराष्ट्र मंडल : मुम्बई जी.पी.ओ., मुम्बई मध्य, अंधेरी, बोरीवली, चेम्बूर, चिनेहबन्दर, दादर, गिरगांव, कालवादेवी, माहीम, मान्डवी, अहमदनगर, अकोला, अलीबाग, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भन्डारा, बुलधाना, चन्द्रपुर, धूले, जलगांव, जालना, कराड, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर जी.पी.ओ., नांदेड, नासिक, उस्मानाबाद, परभनी, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सावंतवाडी, सोलापुर, थाणे, वर्धा, यवतमाल, मड़गांव **(गोवा)**, पणजी **(गोवा)**.

उत्तर-पूर्व मंडल : अगरतला, ऐजल, धर्मनगर, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, राधाकिशोरपुर, शिलांग, तुरा.

उड़ीसा मंडल : भुवनेश्वर जी.पी.ओ., अंगुल, बोलंगीर, बालासोर, बारगढ़, बारीपदा, बरहामपुर, भद्रक, भवानीपटना, कटक जी.पी.ओ., धेंकानाल, जगतसिंहपुर, जाजपुर, जमपोर (के), झारसुगुडा, केंद्रपारा, केयोंझारगढ़, कोरापुट, नयागढ़, परलाखेमुंडी, फूलबनी, पुरी, रायगाडा, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़.

पंजाब मंडल : अमृतसर, भटिन्डा, फरीदकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालन्धर सिटी, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, पटियाला, रोपड़, संगरूर, **चन्डीगढ़**.

राजस्थान मंडल : जयपुर जी.पी.ओ., जवाहर नगर, शास्त्रीनगर, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारन, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, हिन्दौन, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झूंझुनू, जोधपुर, कन्क्रोली, कोटा, नागौर, पाली मारवाड़, सवाईमाधोपुर, शास्त्री मंडल उदयपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टौंक.

तमिलनाडु मंडल : चेन्नई जी.पी.ओ., अन्ना रोड, संत थॉमस माउन्ट, टी. नगर, बोडिनायाकनूर, चेन्गलपट्टू, चिदाम्बरम्, कोयमबटूर, कुड्डालोर, धर्मापुरी, डिंडीगुल, इरोड, कांचीपुरम, कारूर, मदुरै, नागपट्टीनम, नागरकोईल, नामाक्कल, पुडुकोट्टाई, रामनाथपुरम, सालेम, शिवगंगई, ताम्बरम, थन्जावूर, थिरूवन्नामलाई, तिरूचिरापल्ली, तिरूनेलवेली, तिरूवल्लूर, तिरूवायूर, तुराईयूर, तूतीकोरीन, उधागमंडलम्, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरूधुनगर, **पुडुचेरी**.

उत्तर प्रदेश मंडल : लखनऊ, लखनऊ चौक, आगरा, अकबरपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद, इलाहाबाद कचहरी, अलमोड़ा, औरैया, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बांसी, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुदौन, बुलन्दशहर, देहरादून, देवरिया, धामपुर, एटा, इटावा, फैजाबाद, फतेहगढ़, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोन्डा, गोपेश्वर, गोरखपुर, हलद्वानी, हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, झांसी, कानपुर, खेरी, ललितपुर, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नैनीताल, ओराई, पौरी, पडरौना, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, राय बरेली, रामपुर, रूड़की, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, टिहरी, उन्नाव, वाराणसी.

पश्चिम बंगाल मंडल : कोलकाता जी.पी.ओ., अलीपुर, बड़ाबाजार, बेलियाघाट, बेलघरिया, कासीपुर, पार्क स्ट्रीट, टालीगंज, बालूरघाट, बांकुड़ा, बारासत, बहरामपुर, वर्धमान, चिन्सुरा, कूच बिहार, दार्जिलिंग, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, कृष्णनगर, मालदा, मिदनापुर, पुरुलिया, सूरी, सिलिगुड़ी, पोर्ट ब्लेयर **(अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)**, गंगटोक **(सिक्किम)**.

1. सैंट्रल बेस डाकघर (सी.बी.पी.ओ), 56 ए.पी.ओ.
2. सी.बी.पी.ओ. (99 ए.पी.ओ.) द्वारा चुनिंदा फील्ड डाकघर

परिशिष्ट-IV

वस्तुपरक परीक्षणों हेतु उम्मीदवार के लिए विशेष अनुदेश

1. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति होगी

क्लिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड (जिस पर कुछ न लिखा हो) उत्तर पत्रक पर प्रत्युत्तर को अंकित करने के लिए एक अच्छी किस्म की एच.बी.पेंसिल, रबड़, पेंसिल शार्पनर तथा नीली या काली स्याही वाला एक पेन उत्तर पत्रक और कच्चे कार्य हेतु कार्य पत्रक निरीक्षक द्वारा दिए जाएंगे.

2. परीक्षा हाल में निम्नलिखित वस्तुएं लाने की अनुमति नहीं होगी

ऊपर दर्शाई गई वस्तुओं के अलावा अन्य कोई वस्तु जैसे पुस्तकें, नोट्स, खुले कागज, इलैक्ट्रानिक या अन्य किसी प्रकार के केलकुलेटर, गणितीय तथा आरेख उपकरण, लघुगुणक सारणी, मानचित्रों के स्टेंसिल, स्लाइड रूल पहले सत्र (सत्रों) से संबंधित परीक्षण पुस्तिका और कच्चे कार्यपत्रक, पेजर, सेल्युलर फोन आदि परीक्षा हाल में न लाएं.

मोबाइल फोन, पेजर एवं अन्य संचार यंत्र उस परिसर में जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, लाना मना है. इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से प्रतिबंधित किया जा सकता है.

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे मोबाइल फोन/पेजर सहित कोई भी वर्जित वस्तु परीक्षा परिसर में न लाएं क्योंकि इनकी अभिरक्षा के लिए व्यवस्था की गारंटी नहीं ली जा सकती.

3. गलत उत्तरों के लिए दंड

वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा

(i) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं. उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/3 (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा.

(ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे **गलत उत्तर** माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दंड दिया जाएगा.

(iii) यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए **कोई दंड नहीं** दिया जाएगा.

4. अनुचित तरीकों की सख्ती से मनाही

कोई भी उम्मीदवार किसी भी अन्य उम्मीदवार के पेपरों से न तो नकल करेगा न ही अपने पेपरों से नकल करवाएगा, न ही किसी अन्य तरह की अनियमित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा.

5. परीक्षा भवन में आचरण

कोई भी परीक्षार्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलाएं तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान न करें. ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दंड दिया जाएगा.

6. उत्तर पत्रक विवरण

(i) उत्तर पत्रक के ऊपरी सिरे के निर्धारित स्थान पर आप अपना केंन्द्र और विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (कोष्ठकों में) विषय कोड और अनुक्रमांक स्याही अथवा बाल प्वाइंट पेन से लिखें. उत्तर पत्रक में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में अपनी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला (ए.बी.सी अथवा डी., यथास्थिति), विषय कोड तथा अनुक्रमांक (पेंसिल से) कूटबद्ध करें. उपर्युक्त विवरण लिखने तथा उपर्युक्त विवरण कूटबद्ध करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध में दिए गए हैं. यदि परीक्षण पुस्तिका पर पुस्तिका श्रृंखला मुद्रित न हुई हो अथवा उत्तर पत्रक बिना संख्या के हों तो कृपया निरीक्षक को तुरंत रिपोर्ट करें और परीक्षण पुस्तिका/उत्तर पत्रक को बदल लें.

(ii) अनुक्रमांक लिखते समय उम्मीदवार और निरीक्षक को सभी शुद्धियों और परिवर्तनों पर हस्ताक्षर करने चाहिए और पर्यवेक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने चाहिए.

(iii) परीक्षा आरंभ होने के तत्काल बाद कृपया जांच कर लें कि आपको जो परीक्षण पुस्तिका दी गई है उसमें कोई पृष्ठ या मद आदि अमुद्रित या फटा हुआ अथवा गायब तो नहीं है. यदि ऐसा है तो उसे उसी श्रृंखला तथा विषय की पूर्ण परीक्षण पुस्तिका से बदल लेना चाहिए.

7. उत्तर पत्रक/परीक्षण पुस्तिका/कच्चे कार्य पत्रक में मांगी गई विशिष्ट मदों की सूचना के अलावा कहीं पर भी अपना नाम या अन्य कुछ नहीं लिखें

8. उत्तर पत्रकों को न मोड़ें या न विकृत करें अथवा न बर्बाद करें अथवा उसमें न ही कोई अवांछित/असंगत निशान लगाएं. उत्तर पत्रक के पीछे की ओर कुछ भी न लिखें.

9. चूंकि उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कंप्यूटरीकृत मशीनों पर होगा. अतः उम्मीदवारों को उत्तर पत्रकों के रख-रखाव तथा उन्हें भरने में अति सावधानी बरतनी चाहिए. **उन्हें वृत्तों को काला करने के लिए केवल एचबी पेंसिल का उपयोग करना चाहिए. बॉक्सों में लिखने के लिए उन्हें काले या नीले कलम का इस्तेमाल करना चाहिए. चूंकि उम्मीदवारों द्वारा वृत्तों को काला करके भरी गई प्रविष्टियों को कम्प्यूटरीकृत मशीनों द्वारा उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाएगा, अतः उन्हें इन प्रविष्टियों को बड़ी सावधानी से तथा सही-सही भरना चाहिए.**

10. उत्तर अंकित करने का तरीका

''वस्तुपरक'' परीक्षा में आपको उत्तर लिखने नहीं होंगे. प्रत्येक प्रश्न (जिन्हें आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई सुझाए गए उत्तर (जिन्हें आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) दिए जाते हैं उनमें से प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक प्रत्युत्तर चुनना है.

प्रश्न पत्र परीक्षण पुस्तिका के रूप में होगा. इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1, 2, 3... आदि के क्रम में प्रश्नांश के नीचे (ए), (बी), (सी), (डी) के रूप में प्रत्युत्तर अंकित होंगे. आपका काम एक सही प्रत्युत्तर को चुनना है. यदि आपको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें से आपको सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा. किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा यदि आप एक से अधिक प्रत्युत्तर चुन लेते हैं तो आपका प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा.

उत्तर पत्रक में क्रम संख्याएं 1 से 160 छापे गए हैं. प्रत्येक प्रश्नांश (संख्या) के सामने (ए), (बी), (सी) और (डी) चिन्ह वाले वृत्त छपे होते हैं. जब आप परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लें और यह निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरों में से कौन सा एक प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है, **आपको अपना प्रत्युत्तर उस वृत्त को एचबी पेंसिल से पूरी तरह से काला बनाकर अंकित कर देना है. उत्तर पत्रक पर वृत्त को काला करने के लिए स्याही का प्रयोग न करें.**

उदाहरण के तौर पर यदि प्रश्नांश 1 का सही प्रत्युत्तर (बी) है तो अक्षर (बी) वाले वृत्त को निम्नानुसार पेंसिल से पूरी तरह काला कर देना चाहिए जैसा कि नीचे दिखाया गया है.

उदाहरण (ए) ● (सी) (डी)

यदि निशान गलत लग गया है तो उसे अच्छी तरह से मिटाकर फिर से सही उत्तर पर निशान लगाएं.

11. उपस्थिति सूची पर हस्ताक्षर :

आपको दिए गए उत्तर पत्रक और परीक्षण पुस्तिका की क्रम संख्या और परीक्षण पुस्तिका की श्रृंखला उपस्थिति सूची में लिखनी आवश्यक है और अपने नाम के सामने उपयुक्त कालम में हस्ताक्षर करने हैं. उपयुक्त विवरणों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन को उम्मीदवार द्वारा अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाना चाहिए.

12. कृपया परीक्षण पुस्तिका के आवरण पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ें और उनका पालन करें. यदि कोई उम्मीदवार अव्यवस्थित अथवा अनुचित आचरण में शामिल होता है तो वह अनुशासनिक कार्रवाई और/या आयोग द्वारा उचित समझे जाने वाले दंड का भागी बन सकता है.

महत्वपूर्ण : उम्मीदवार को उत्तर पत्रक में प्रत्युत्तर का अंकन स्वयं करना चाहिए.

अनुबंध

परीक्षा भवन में वस्तुपरक प्रकार के परीक्षणों के उत्तर पत्रक कैसे भरें

कृपया इन अनुदेशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन करें. आप यह नोट कर लें कि चूंकि उत्तर-पत्रक का अंकन मशीन द्वारा किया जाएगा, इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन आपके प्राप्तांकों को कम कर सकता है जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे.

उत्तर पत्रक पर अपना प्रत्युत्तर अंकित करने से पहले आपको इसमें कई तरह के विवरण भरने होंगे.

उम्मीदवार को उत्तर-पत्रक प्राप्त होते ही यह जांच कर लेनी चाहिए कि इसमें नीचे संख्या दी गई है. यदि इसमें संख्या न दी गई हो तो उम्मीदवार को उस पत्रक को किसी संख्या वाले पत्रक के साथ तत्काल बदल लेना चाहिए.

आप उत्तर-पत्रक में देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर की पंक्ति में इस प्रकार लिखना होगा.

स्याही से लिखें

Centre	Subject	S. Code			Roll Number						
केन्द्र	विषय	विषय कोड			अनुक्रमांक						

मान लो यदि आप सामान्य अध्ययन* के प्रश्न-पत्र के वास्ते परीक्षा में दिल्ली केन्द्र पर उपस्थित हो रहे हैं और आपका अनुक्रमांक 081276 है तथा आपकी परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला 'ए' है तो आपको स्याही या बाल प्वाइंट पेन से इस प्रकार भरना चाहिए.

*यह एक उदाहरण मात्र है तथा आपकी संबंधित परीक्षा से इसका कोई संबंध नहीं है.

स्याही से लिखें

Centre	Subject	S. Code			Roll Number						
केन्द्र	विषय	विषय कोड	9	9	अनुक्रमांक	0	8	1	2	7	6
दिल्ली	सामान्य अध्ययन (ए)										

आप केन्द्र का नाम अंग्रेजी या हिन्दी में स्याही या बाल प्वाइंट पेन से लिखें.

परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला कोड पुस्तिका के सबसे ऊपर दायें हाथ के कोने पर वर्णक्रम ए बी सी अथवा डी के अनुसार निर्दिष्ट है.

आप स्याही से अपना ठीक वही अनुक्रमांक दिए गए बाक्स में लिखें जो आपके प्रवेश प्रमाण पत्र में है. यदि अनुक्रमांक में कहीं शून्य हो (हों) तो उसे भी लिखना न भूलें.

आपको अगली कार्रवाई यह करनी है कि आप समय सारणी में से समुचित विषय कोड ढूंढे. अब आप परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला, विषय कोड तथा अनुक्रमांक को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित वृत्तों में कूटबद्ध करने का कार्य एच.बी. पेंसिल से करें. केन्द्र का नाम कूटबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है. परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला को लिखने और कूटबद्ध करने का कार्य परीक्षण पुस्तिका प्राप्त होने तथा उसमें से पुस्तिका श्रृंखला की पुष्टि करने के पश्चात ही करना चाहिए.

'ए' परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के सामान्य अध्ययन विषय प्रश्न पत्र के लिए आपको विषय कोड सं. 99 लिखनी है. इसे इस प्रकार लिखें.

Booklet Series (A)	Subject	9	9
पुस्तिका श्रृंखला (ए)	विषय	9	9
●		⓪	⓪
(बी)		①	①
(सी)		②	②
(डी)		③	③
		④	④
		⑤	⑤
		⑥	⑥
		⑦	⑦
		⑧	⑧
		●	●

बस इतना भर करना है कि परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला के नीचे दिए गए अंकित वृत्त 'ए' को पूरी तरह से काला कर दें और विषय कोड के नीचे '9' के लिए (पहले उर्ध्वाधर कालम में) और 9 के लिए (दूसरे उर्ध्वाधर कालम में) वृत्तों को पूरी तरह काला कर दें. तब आप अनुक्रमांक 081276 को कूटबद्ध करें. इसे उसी के अनुरूप इस प्रकार करेंगे.

vuqØekad

Roll Numbers

0	8	1	2	7	6
●	⓪	⓪	⓪	⓪	⓪
①	①	●	①	①	①
②	②	②	●	②	②
③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	●
⑦	⑦	⑦	⑦	●	⑦
⑧	●	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना विषय, परीक्षण पुस्तिका श्रृंखला तथा अनुक्रमांक ठीक से कूटबद्ध किया है. यदि आपने कोई गलती कर दी है तो उसे पूरी तरह मिटाकर पुनः ठीक से भरें.

*यह केवल एक उदाहरण है और आपकी परीक्षा से संबंधित नहीं है.

परिशिष्ट-V

परम्परागत प्रकार के पश्न पत्रों के लिए विशेष अनुदेश

1. उत्तर स्वयं हाथ से लिखे जाएं :
उत्तर स्वयं अपने हाथ से स्याही से लिखें. कच्चे कार्य के लिए पेंसिल का प्रयोग किया जा सकता है.

2. उत्तर पुस्कितका जांचे :
उम्मीदवार अपना अनुक्रमांक अपने द्वारा प्रयोग की गई प्रत्येक उत्तर पुस्तिका में (अपना नाम नहीं) केवल इस प्रयोग हेतु दिए गए स्थान पर ही लिखें. उत्तर पुस्तिका में लिखने से पहले कृपया यह देख लें कि यह पूर्ण है. यदि इसके कुछ पृष्ठ गायब हों तो इसे बदल लें.
उत्तर पुस्तिका से कोई पृष्ठ न फाड़ें. यदि आप एक से अधिक उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करते हैं. तो उत्तर पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर प्रयोग की गई उत्तर पुस्तिकाओं की कुल संख्या निर्दिष्ट करें. उत्तरों के बीच में रिक्त, अप्रयुक्त स्थान न छोड़ें. यदि ऐसे स्थान छोड़े जाते हैं तो उन्हें काट दें.

3. विनिर्धारित संख्या से अधिक उ त्तरों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा :
उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए. यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं तो निर्धारित संख्या तक पहले लिखे गए प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन किया जाएगा, शेष उत्तरों को अनदेखा कर दिया जाएगा.

4. संक्षेपण संबंधी प्रश्न-पत्र संक्षेपण पत्रकों पर ही किए जाएं जो कि मांगने पर निरीक्षक द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे. संक्षेपण पत्रक, प्रयुक्त या अप्रयुक्त, उत्तर पुस्तिकाओं के अंदर रखे और अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका (पुस्तिकाओं), यदि कोई हो, के साथ बांध दें. जो उम्मीदवार इस अनुदेश का अनुपालन नहीं करते हैं, उन्हें दंडित किया जाएगा. इन पत्रकों पर अपना अनुक्रमांक न लिखें.

5. अनुचित साधन सर्वथा वर्जित :
दूसरे उम्मीदवार के पत्रकों से नकल न करें, न ही अपने पत्रकों से नकल करने दें. किसी प्रकार की अनियमित सहायता न दें, न ही देने की कोशिश करें, न लें न ही लेने का प्रयास करें. यह प्रत्येक उम्मीदवार का उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी अन्य उम्मीदवार ने उसके उत्तरों की नकल नहीं की है. ऐसा न करने पर अनुचित साधनों को अपनाने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित दण्ड दिया जाएगा.

6. परीक्षा भवन में आचरण :
किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें या परीक्षा भवन में शांति भंग न करें या परीक्षा के संचालन हेतु लगाए गए स्टाफ को उत्पीड़ित या शारीरिक नुकसान न पहुंचाएं. यदि आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आपको कठोर दण्ड दिया जाएगा.

7. परीक्षा भवन में आपको उपलब्ध कराई गई प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका पर मुद्रित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका अनुपालन करें.

परिशिष्ट-VI

केंन्द्रीय पुलिस बल (सहायक कमांडेंट्स) के पद के लिए उम्मीदवार हेतु शारीरिक और चिकित्सा मानदंड

परिशिष्ट-VI (क)

1. शारीरिक मानदण्ड :

उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

	पुरुष	महिला
ऊंचाई	165 सें.मी.	157 सें.मी.
सीना (बिना फुलाए)	81 सें.मी.	(लागू नहीं)
	(कम से कम 5 सें.मी. फुलाव के साथ)	
वजन	50 कि.ग्रा.	46 कि.ग्रा.

इसके अलावा वजन परिशिष्ट-VI (ख) में दर्शाई गई ऊंचाई और आयु के अनुसार होना चाहिए.

2. चिकित्सा मानदण्ड :

(क) आंखों की दृष्टि

	सही आंख (सही की गई दृष्टि)	**खराब आंख (सही की गई दृष्टि)**
दूर दृष्टि	6/6 या 6/9	6/12 6/9
निकट दृष्टि	जे-1 (सही की गई दृष्टि)	जे-2 (सही की गई दृष्टि)
अनुमेय दोष सुधारों के प्रकार	चश्मा	
अनुमेय अपवर्तक कमियों की सीमाएं	-4.00 डी (सिलेंडर सहित) गैर विकृति अन्य निकट दृष्टि + 4.00 डी (सिलेंडर सहित) दूर दृष्टि	
रंग दृष्टि	उच्च ग्रेड	

उम्मीदवार में किसी भी प्रकार का भैंगापन नहीं होना चाहिए और उच्च रंगदृष्टि होनी चाहिए. उम्मीदवार का इशिहारा परीक्षण और एड्रिज-ग्रीन-लैंटर्न परीक्षण द्वारा रंगदृष्टि की जांच की जाएगी. आंखों में दीप्ति, स्पष्टता के साथ-साथ कोई भी दोष/बीमारी नहीं होनी चाहिए. आंखों की पुतलियां पूरी तरह घुमानी हों और सभी दिशाओं में घुमने को स्वतंत्र हों. निकट दृष्टि के प्रत्येक मामले में नेत्रबुध्त (फण्डस) परीक्षा की जायेगी और परिणाम रिकार्ड किए जाएंगे. काटेक्ट लैन्स या लेजर शल्य चिकित्सा की अनुमति नहीं है.

(ख) कैरिंग ऐंगल : कैरिंग एंगल पुरुषों के लिए 15^0 और महिलाओं के लिए 20^0 से अधिक नहीं होना चाहिए.

(ग) कान

(i) उम्मीदवार में किसी भी प्रकार की बघिरता नहीं होनी चाहिए या स्थायी रूप से कान बहता न हो.

(ii) उम्मीदवार में कोई अन्य दशा (जन्मजात या उपार्जित) जैसे - मियेटस अछिद्रग, अध्यस्थि बाह्य बर्हुदजो कणमार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करती हो और वृत्त या प्रत्यावर्ती कर्णशूल, कर्णस्वेत तथा भ्रमि नहीं होनी चाहिए.

(घ) नाक : उम्मीदवार में डीएनएस, शोषीनाशा शोध, यक्ष्मिकीय, व्रण, जीर्ण वायुविवर नहीं होनी चहिए.

(ङ) ग्रीवा : उम्मीदवार में विस्तृत लसिका पर्व, थायरायड या अन्य ग्रीवा उत्सेध (सूजन) नहीं होना चाहिए जो ग्रीवा को पूर्णरूपेण घुमाने में अक्षम या मेरुदण्ड या ग्रैव केशरूका की बीमारियों का कोई प्रमाण देते हों.

(च) दंत : उम्मीदवार में सुचारू चर्वन के लिए समुचित संख्या में पूरे दंत अवश्य होने चाहिए. उम्मीदवार में गंभीर पायरिया न हो.

(छ) रतिजरोग : उम्मीदवार में रोग लक्षण वीडी के सक्रिय चिन्ह नहीं होने चाहिए.

(ज) चिरकालिक त्वचा रोग : उम्मीदवार में चिरकालिक त्वचा रोग जैसे कुष्ठ, चिरकारी त्वक्शोथ सघन तुषामशल्कन वर्सीकालर, सोरायसिस, एसएलई आदि नहीं होने चाहिए.

3. सामान्य मानदण्ड :

(क) शब्दों का उच्चारण दोष रहित अर्थात् हकलाहट के बिना होना चाहिए.

(ख) उम्मीदवार में चिरकालिक रोग जैसे क्षय, किसी प्रकार का सन्धि शोध, उच्च रक्त दाब, मधुमेह, श्वासनिक दमा, किसी प्रकार के हृदय रोग के लक्षण नहीं होने चाहिए.

(ग) उम्मीदवार के शरीर में कहीं कोई ग्रन्थिल सूजन दृष्टिगोचर तथा प्रत्यक्ष नहीं होनी चाहिए.

(घ) वक्ष सुगठित होना चाहिए, किसी प्रकार की असामान्यता अर्थात् रिकेटी गुटिका-माला दोष सहित चपटा वक्ष, कपोत वक्ष नहीं होना चाहिए. दिल एवं फेफड़े स्वस्थ होने चाहिए.

(ङ) अंग, हस्त तथा पाद सुगठित तथा सुविकसित होने चाहिए तथा सभी संधियों की गति श्रेष्ठ होनी चाहिए.

(च) अस्थि संबंधी कोई पुराना/कुसंयोजित अस्थिभंग नहीं होना चाहिए.

(छ) सभी संधियों की गति अबाध तथा श्रेष्ठ होनी चाहिए.

(ज) पाद तथा पाद के अंगूठे सुगठित होने चाहिए.

(झ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष नहीं होना चाहिए.

(ञ) किसी पुराने तीव्र या चिरकालिक रोग के संकेत, जिससे दोषयुक्त गठन का पता चले नहीं होना चाहिए.

(ट) उम्मीदवार को जनन मूत्राशय का कोई रोग न हो.

(ठ) उम्मीदवार को वंक्षण, वृषणेकोशीय सूजन या किसी प्रकार का हर्निया न हो.

(ड) (केवल पुरुषों के लिए) दोनो वृषण वृषणकोश में हैं तथा सामान्य आकार के हैं.

(ढ) उम्मीदवार के संघट्ट जानु, चपटे पाद, अतस्फीत शिराएं नहीं होनी चाहिए.

(ण) उनका मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम हो तथा ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त हो जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन में बाधा आने की संभावना हो.

4. उम्मीदवार हृदक्षिप्रता (नाड़ी दर 100 प्रति मिनट से अधिक) या हृदमन्दता (50 प्रति मिनट से कम) से पीड़ित न हो.

5. उम्मीदवार हर्निया, अर्श, कॉन्डिलोमेटा, मलाशय भ्रंश से पीड़ित न हो.

परिशिष्ट-VI (ख)

विभिन्न आयुवर्गों तथा ऊंचाई के लिए पुरुष औसत शारीरिक वजन किलोग्राम में

ऊंचाई सें.मी. में	आयु वर्षों में			
	18-22	**23-27**	**28-32**	**33-37**
156	44-54	46-56	47-58	48-59
158	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5
160	46-56	47.7-58.5	49.5-60.5	50.5-61.5
162	47-58	49-60	50.5-61.5	52-63
164	48-59	50-61	52-63.5	53-65
166	49.5-60.5	51.5-62.5	53-65	54.5-66.5
168	51-62	52.5-64.5	54.5-66.5	56-68
170	52-64	54-66	56-68	57.5-70.5
172	54-66	55.5-67.5	57-70	59-72
174	55-67	57-70	59-72	61-74.5
176	56.5-69	58.5-71.5	60.5-73.5	62-76
178	57.5-70.5	60-73	61.5-75.5	63.5-77.5
180	59-72	61-75	63.5-77.5	65.5-80
182	61-74.5	62.5-76.5	65-79	66.5-81.5
184	63-77	64.5-78.5	66.5-81.5	68.5-83.5
186	63.5-77.5	65.5-80.5	68-83	70-86
188	65-79	67.5-82.5	70-85.5	71.5-87.5
190	66-81	68.5-83.5	70.5-86.5	72.5-88.5

विभिन्न आयुवर्गों तथा ऊंचाई के लिए महिला औसत शारीरिक वजन किलोग्राम में

ऊंचाई सें.मी. में	आयु वर्षों में			
	18-22	**23-27**	**28-32**	**33-37**
148	34.5-42.5	37-45	38.5-47	39.5-48.5
150	36.5-44.5	37.5-45.5	39-48	40.5-49.5
153	38-46	39-48	41-50	42-51
155	38.5-47.5	40-49	41.5-50.5	43-52.5
158	40.5-49.5	42-51	43-53	44.5-54.5
160	41.5-50.5	43-52.5	44-54	45.5-54.5
163	43-52.5	44-54	46-56	47-57
165	44-54	45.5-55.5	47-58	48.5-59.5
168	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5

इस सारणी में केवल कुछ ऊंचाई (सें.मी.) के संबंध में संगत शारीरिक वजन दिए गए हैं. बीच की ऊंचाई के संबंध में शारीरिक वजन की गणना के लिए ''औसत'' का सिद्धांत प्रयुक्त किया जा सकता है. सारणीबद्ध ऊंचाई से बाहर के औसत वजन की गणना के लिए, ऊंचाई में प्रत्येक एक सें.मी. की वृद्धि या कमी के लिए 0.71 कि.ग्रा. क्रमशः बढ़ाया या घटाया जा सकता है.

डीएवीपी 55104/14/0016/1112 रो.स. 12/66